सूचना विभाग गोण्डा
ई–मेलः ddiogonda@gmail.com
गोण्डा दिनांक 10.02.2021 34

'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों के प्रतिभावान तथा उत्साही विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क, प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा प्रशिक्षित

–आयुक्त देवीपाटन मण्डल

आयुक्त देवीपाटन मण्डल श्री एस0वी0एस0 रंगाराव ने बताया है कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में संसाधनों की कमी से ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के बच्चें प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील एवं परिश्रमी होते हुए भी इन परीक्षाओं की गुणवत्तापरक प्रभावी तैयारी नहीं कर पाते थे तथा संसाधन के अभाव में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था। उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के पूर्व स्थानीय स्तर पर (मण्डल) **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** के अन्तर्गत परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षित करते हुए सेवायोजित करने की योजना है। उन्होने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2021 **बसन्त पंचमी** के शुभ अवसर पर इस योजना का शुभारम्भ किया जायेगा।

'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों के प्रतिभावान तथा उत्साही विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क, यहां पर साक्षात प्रशिक्षण/ऑनलाइन प्रशिक्षण/तैयारी के लिए देवीपाटन मण्डल मुख्यालय के अन्तर्गत जनपद गोण्डा शहर में तीन निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। यह तीन केन्द्र

लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, राजकीय इण्टर कालेज, गोण्डा तथा राजकीय प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0), गोण्डा में संचालित किये जायेंगे। लाल बहादुर शास्त्री स्नाकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, चयन आयोग, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी की जायेगी, राजकीय इण्टर कालेज, गोण्डा के अन्तर्गत जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0 एवं अन्य सैन्य सेवाओं की परीक्षा एवं तैयारी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0), गोण्डा के अन्तर्गत बैंकिंग, एल0आई0सी0, एस0एस0सी0, केन्द्रीय पुलिस बल की भर्ती, बी0एड0, टी0ई0टी0 तथा अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं एवं तैयारी की जायेगी।

आयुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्चस्तरीय मार्गदर्शन अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण/सलाह प्रदान करना है, जिसके अर्न्तगत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/अन्य भर्ती बोर्ड/संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं आदि, एन0टी0ए0 आयोजित जे0ई0ई0 (मेन्स) एवं नीट की परीक्षाएं, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, अन्य सैन्य सेवायं, अर्द्ध सैनिक/केन्द्रीय पुलिस बल की भर्ती सम्बन्धी, बैंकिंग पी0ओ0, एस0एस0सी0, बी0एड0, टी0ई0टी0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा आदि तथा संघ लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश लोक आयोग की मुख्य परीक्षायें एवं साक्षात्कार सम्मिलित होगा। उन्होने बताया कि दिनांक 10 फरवरी 2021 से राज्य स्तरीय समिति के सहयोग से **ई–लर्निंग कन्टेन्ट प्लेटफार्म Website-www.abhyuday.up.gov.in** एक पोर्टल के रूप में बनाया गया है,

जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा उसे उपाम तथा मण्डल मुख्यालयों के कोर्स–को–ऑर्डिनेटर को उपलब्ध कराया जायेगा। उपाम द्वारा भी इस पोर्टल पर परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित टिप्स सामग्री, पुस्तकों इत्यादि सम्बन्धी मार्गदर्शन देते हुए वीडियों अपलोड किया जायेगा। लाइव सेशन एवं वेबिनार भी आयोजित किये जायेंगे, जिसमें अधिकारियों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। समस्त कार्यवाही राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से उपाम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सभी सरकारी विभाग/संस्थानों के **ई–लर्निंग एप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल** पर उपलब्ध किये जायेंगे। वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का प्रबन्धन एवं परिवेक्षण की व्यवस्था होगी। मण्डलीय समिति द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यरत अधिकारियों का एक पैनल बनाया जायेगा। आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0, पी0सी0एस0 तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों को मेंटरशिप का कार्य करना होगा। उपाम द्वारा विषयवार कैलेण्डर व विषय सामग्री तैयार कर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपाम द्वारा मण्डल स्तरीय समिति की तकनीकी मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया जायेगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापन कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवायें अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जायेगी। योग्य/अनुभवी व्याख्याताओं को मण्डल स्तर पर चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान/Trial Lecture के उपरान्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में मण्डल स्तरीय समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। इस हेतु मार्गदर्शन का कार्य उपाम द्वारा किया जायेगा। व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/वार्ताकारों/ व्याख्याताओं को कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी। मण्डल स्तर से विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जायेगा। इस पैनल में राजकीय/अनुदानित इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज के शिक्षकों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में संचालित कोचिंग केन्द्रों के अच्छे शिक्षक जो अपनी सेवायें स्वतः देने हेतु इच्छुक हों, उनको भी सूचित किया जा सकता है।